euvy&7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यन्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

स्टेट वाटर एण्ड सैनीटेशन मिशन, उत्तराखण्ड रूरल वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन मिशन, स्वजल परियोजना

वर्तमान में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की दिशानिर्देशानुसार निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैंः

1. विश्व बैंक सहायतित सेक्टर कार्यक्रम
2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम
4. पेयजल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण
5. स्वजल 2.0 कार्यक्रम
6. जल जीवन मिशन

इन कार्यक्रमों के कियान्वयन में भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुये राज्य सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों के भूमिका को राज्य स्तर, जनपद स्तर तथा पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश जारी किये हैं। इन कार्यक्रमों के चयन, नियोजन, कियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।

प्रस्तावित स्वजल द्वितीय चरण परियोजना के संचालन में भी जनप्रतिनिधियों की भूमिका को राज्य स्तर, जनपद स्तर तथा पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से निम्न विषयों पर शासनादेश जारी किये गये हैं, जो कि इस पुस्तिका में संकलित किये गये हैंः–

1. पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (SWAp) अपनाते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थायें। इस शासनादेश में निम्न बिन्दु समाहित हैंः–
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन : जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन ।
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी) : जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की सहायता हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का गठन ।

2. **पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों (SWAp-Sector Wide approach) को अपनाते हुये शीर्ष स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें करने के संबंध में।**
   1. शीर्ष समिति/(Apex body)
   2- अधिशासी समिति (Executive Committee)
   3- वित्त समिति (Finance Committee)

4- **पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सुधार की नीति को सकल क्षेत्र में समरूप (SWAp- Sector Wide approach) अपनाये जाने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत व्यवस्थायें करने के संबंध में।**

5. vf/klpuk% भारत के संविधान के 73वें संशोधन की भावना को राज्य में कियान्वित करने के उद्‌देश्य से पंचायतीराज विभाग द्वारा शासनादेश सं0 622/पं0ग्रा0अ0से0अनु0/92 (25)/2003 दिनांक 29 अक्टूबर 2003 निर्गत किया गया था। इसी कम में पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल विभाग से संबन्धित प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों/दायित्वों को पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 2121/उन्तीस/04–2/2004 दिनांक 17 अगस्त 2004 तथा उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र सुधार की नीतियों को अपनाए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2120/उन्तीस/04–2 (22पे0)/2004 दिनांक 18 अगस्त 2004 निर्गत किये गये हैं और उत्तराखण्ड राज्य में *उपभोक्ता (Users) आधारित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों*

के गठन हेतु उपबंध किया गया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के स्वजलधारा कार्यक्रम के निम्न मौलिक सुधार सिद्धान्तों को कियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक हैः

1. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन
2. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व
3. ग्राम पंचायतों के *कार्य और उत्तर*दायित्व
4. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के खातों का संचालन एवं रखरखाव

जनता एवं जनप्रतिनिधियों से परामर्श हेतु नीति निर्धारण

उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन–एस0डब्लू0एस0एम0) में नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

जन प्रतिनिधियों की भागीदारीः

राज्य स्तर पर :

राज्य स्तर पर एस0डब्लू0एस0एम0 की शासी निकाय में सहयोगी संस्थाओं/पंचायती राज संस्थाओं के तीन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। यह प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नये चयन किये जाते हैं। शासी निकाय में जन प्रतिनिधियों के होने के फलस्वरूप,एस0डब्लू0एस0एम0 में नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

जनपद स्तर पर :

जनपद स्तर पर राज्य सरकार व राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) के द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णयों के अनुसार एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में नीतियों को लागू करने हेतु एवं जनपद स्तर पर मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में सम्बन्धित जनपद के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन जिला पंचायत सदस्य, एवं चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख सदस्य हैं। अतः जनपद स्तर पर नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

ग्राम स्तर पर :

राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता की योजनाओं को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किये जाने के लिये ग्राम स्तर पर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 12 के अन्तर्गत संगठित ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका है।

ग्राम स्तर पर स्थायी संस्थागत व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के अधीन, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति/ उपसमितियों के नाम से ज्ञात उपसमिति/उपसमितियों का गठन अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 द्वारा किया गया है।

राज्य स्तर परः– राज्य जल व स्वच्छता मि"ान (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) निम्नलिखित के लिए नीतियों बनाने और उसके क्रियान्वयन की व्यवस्थाएं तैयार करेगा–

1– एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वितीय उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के क्रियान्वयन को समन्वित और मूल्यांकन के लिए एक स्वतन्त्र स्व"ाासी निकाय की भांति कार्य करेगा। इस परियोजना के प्रधान उद्दे"य निम्नलिखित है।

2– एस.डब्ल्यू.एस.एम. को उत्तराखण्ड शासन के शा0 आ0 सं0 2021 दिनांक 18 अगस्त 2004 में बताई हुई ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कल्पना 2002 को साकार करना है। एस.डब्ल्यू.एस.एम. के कार्य करने की योजना बताते समय उसके वि"िाष्ट उद्दे"यों को निम्नानुसार बताया गया है–

v& प्रारम्भतः ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की तैयार की योजना बनाकर उसे पूरा करना तथा उसके बाद कार्यक्रम के समग्र नीति निर्धारण और प्रबन्धन की जिम्मेदारी ग्रहण करना।

vk& सम्पूर्ण राज्य के लिए ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के लिए विकेन्द्रित मांग प्रतिचारी दृष्टि का संस्थात्मक बनाने के लिए पूरा–पूरा दायित्व ग्रहण करना।

b& उत्तराखण्ड में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर के लिए सम्पूर्ण राज्य में नेतृत्व, सहयोगिता और प्रबन्धन कराने के लिए उत्तरदायी बनाना।

bZ& उत्तराखण्ड शासन को समुपयुक्त नीति रूपरे,खा और रणनीति योजना पहचनाने और क्रियान्वित करने में सहायता देकर ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर के दीर्घकालिक टिकाऊपन को प्रोत्साहित करना।

m&d& i s; ty

1– राज्य की सभी ग्रामीण बस्तियों को न्यूनतम 40 lpcd देते हुए पूर्ण तथा लेने का लक्ष्य प्राप्त करना।

2– सामाजिक दृष्टि से सीमान्त पर आकें हुए वर्गो द्वारा निवासित बस्तियों को पूरी तरह और स्वतन्त्र रूपेण योजनाओं में लेना।

3– गुणवत्ता की दृष्टि से कुप्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता आधार पर सुधारार्थ लेना।

4– पेयजल स्रोतों और प्रणालियों को जिसमें वर्षा जल को उपयोग में लाना, भूमि जल का रीचार्ज कराना, भूमि जल प्रबन्धन परिष्कृत ओरएण्डएम प्रतिमान और लागत की पुनर्प्राप्ति करना सम्मिलित है। दीर्घकालिक टिकाऊपन प्रोत्साहित करना।

[k& 1& LoPNrk

1– खुले मैदान मूल विसर्जन बन्द कराने तथा वैयक्तिक/ सामूहिक घरों के शौचालय बनवाने की और प्रयास करना।

2– वैयक्तिक और घरों की स्वच्छता सुधारने की समस्याओं पर ध्यान देना, जिसमें शरीर की सफाई, जल प्रबन्धन और घरों के द्रव और ठोस क्षेप्य का सुरक्षित निपटान करना।

3– सभी स्कूलों से स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना।

4– स्त्रियों की आव"यकता पूर्ति के लिए एकीकृत स्वच्छता परिसर का निर्माण प्रोत्साहित करना।

5- श्रृंखलाबन्द समस्याओं की आपूर्ति के लिए ग्रामीण स्वच्छता दुकानें स्थापित कराने की सुविधाएं बढ़ाना।

2–राज्य जल एवं स्वच्छता मिशku ¼,l-MCY;w-,l-,e½

ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सेक्टर सुधार लाने के लिए संसाधनों के संगठन की तरह कार्य करेगा। यह भारत सरकार द्वारा आरम्भ कराए स्वजलधारा कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान/सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अथवा भारत सरकार/ उत्तराखण्ड शासन द्वारा शुरू किए किसी ऐसी अन्य परियोजना को भी क्रियान्वित करने का कार्य करेगा।

3&,l-MCY;w-,l-,e- ds dk;Z %&

एस.डब्ल्यू.एस.एम. उत्तराखण्ड शासन के आर.डब्ल्यू.एस.एम उद्दे"यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नीति और रणनीतिक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में लगेगा। इसके विस्तृत कार्यो में सम्मिलित होंगे–

v& lLFkkxr fuekZ.k %

1– ऊपर बताए उद्दे"यों को क्रियान्वित और प्राप्त करने के लिए राज्य और जिला स्तर संस्थाएं स्थापित करना। मांग प्रतिचारी दृष्टिकोण और भागीदारी वाली प्रक्रिया अपनाने के लिए इस संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना।

2– ग्राम पंचायतों ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समितियों, गैर–सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों और सहायक संगठनो की सेक्टर की क्षमाताएं बढ़ाना।

3– स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिष्कृत स्वास्थ्यकी व्यवहार प्रोत्साहित करना।

vk& HkkSfrd lajpukRed fodkl

1– नई ग्रामीण जल योजनाओं का संवर्धन, पुनर्निवे"ा/पुनर्जीवित/ निर्माण करना।

2– भूमि जल पुनर्भरण, जल संरक्षण और वर्षाजल उपयोग पर जोर देते हुए नया निर्माण करना।

3– गांवों में मोरियों का जल निपटान और आंधी, तूफान में बरसा जल निकलने की नालियों बनाना उत्साहित करते हुए निर्माण कराना।

4– नये शौचालय का निर्माण, वर्तमान घरेलू, सामुदायिक और सांस्थानिक शौचालयों का विस्तार कराना।

5– कूड़ा–कड़कट निपटान, सामुदायिक कूड़ागर्तो, स्वास्थ्यकी सुधार के लिए अन्य स्वच्छता सुविधाओ आदि अन्य उपयुक्त पर्यावरण सुधार योजनाओं को प्रोत्साहित करना।

b& lkj jkT; e lDVj fodkl

1– सम्पूर्ण राज्य में सेक्टर विकास करने के कार्यक्रम और अध्ययन हाथ में लेना।

2– पेयजल एवं स्वच्छता सुविधओं का संचालन व रखरखाव क्रिया"ालता में सुधार लाने के लिए ग्राम पंचायतों/वी.डब्लयू.एस.सी.–ओ. की सहायता करना।

3– प्रभावकारी पड़ताल व मूल्यांकन के लिए सेक्टर बार एम.आई.एस. विकसित करना और उन्हें बनाए रखना।

4– आर.डब्ल्यू.एम.एस. सेक्टर की नीति बनाना।

5– पुनर्परिभाषा करने एवं क्रियान्वयन में विद्यमान सेक्टर संस्थाओं की सहायता करना।

6– अन्य कार्य करना जो आर.डब्ल्यू.एस.एम. कार्यक्रमों और अन्य परियोजनाओं का प्रबन्धन करने में आव"यक हो जिसमें उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम जो वि"ोषतः प्रस्तावित किया जा रहा है और सामान्यतः ऐसे कार्य सम्मिलित होंगे जो ऊपर की धाराओं में बताए उद्दे"यों और समरनीतियों को प्राप्त करने के जिए प्रस्तावित किए गए हों।

dk;&

उपर्युक्त उद्देश;k dk ikIr dju d fy, ,l-MCY;-,l-,e- fuEufyf[kr dk;k dk lEiUu djxk&

अ– ऐसे सभी कार्य करना जो परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आव"यक हो और वि"ोषतः उन उद्दे"यों को पूरा करने के लिए जिन्हें ऊपर धारा 5 में बताया गया है।

आ– परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किए जाने वाले कार्यों में समन्वय और उनका मूल्यांकन करना।

इ– उत्तराखण्ड जल गुणवत्ता प्रयोग"ालाएं स्थापित करने में समन्वयक और मूल्यांकन करना जिसमें उसके के लिए प्रयोग"ाला उपसाधन और उपकरण मंगाना भी सम्मिलित है।

ई– निम्न कार्यो के लिए सलाहकारों की सहायता प्राप्त करना–

1– पेयजल योजनाओं के डिजाईनों की समीक्षा।

2– पर्यावरण स्वच्छता के आलेख।

3– जल गुणवत्ता पड़ताल प्रणाली।

4– प्रि"ाक्षण।

5– अन्य कोई कार्य।

6– विभिन्न अध्ययन।

उ– निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण, टपक का पता लगाने की पड़ताल आदि।

ऊ– एस.डब्ल्यू.एस.एम. जिला जल स्वच्छता मि"ान और अल्पों के प्रदान ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों, ग्राम सुविधाओं, सहायक संगठनो और ग्रामीण समुदाय कर्मचारियों, के जिनमें ग्राम पंचायत और जल संचालन समितियों के सदस्य, तकनीकी स्कूलों के अध्ययन शामिल हैं। प्रि"ाक्षण कार्यक्रमों में समन्वय एवं प्रबन्धन करना।

ऋ– ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण स्वच्छता कार्यो में समर्पित गैर सरकारी संगठनों का सक्रिय सहयोग और भागीदारी प्राप्त करना।

ए– परियोजना से सम्बन्धित मामलों में सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्य"ालाएं आयोजित करना।

ऐ– एस.डब्ल्यू.एस.एम. के कार्य संचालित करने के लिए नियम, विनियम बनाना, उनमें संवर्धन, सं"ाोधन, परिवर्तन पर निरस्वत समय–समय पर करना।

ओ– उसकी वेतन संरचना और लाभ प्राप्त संरचना तैयार करना तथा यथाव"यक एस.डब्ल्यू.एस.एम. और डी. डब्ल्यू.एस.एम.–ओ में कर्मचारी लगाना, रखना अथवा बर्खास्त करना।

औ– चैक, ड्राफ्ट, रसीद, विनियम देयक या अन्य वित्तीय उपकरण और प्रतिभूतियों स्वीकारना,बनाना, भेजना या अन्यथा। जांच भी एस.डब्ल्यू.एस.एम. और अन्य संस्थाओं के मध्य किए गए करारों की सम्पूर्ति सुनि"चत करने के लिए आव"यक हो, करना।

अं– सरकारी अनुमोदन कराने की आव"यकता बिना, सेवाएं वैसी जैसी कि एस.डब्ल्यू.एस.एम.कार्यकारी समिति में सरकारी प्रतिनिधि रहने से हो करार में बद्ध होना।

अः– कोई धनरा"ि, ऋण, प्रतिभूति अथवा किसी भी किस्म की सम्पत्ति स्वीकारना अथवा उपलब्ध कराना तथा किसी एण्डोमेंट न्याय, निधि या दान को जो एस.डब्ल्यू.एस.एम. के उद्दे"यों से असंगत न हो, लेना और उसका प्रबन्ध स्वीकार करना।

क– बजट बनाना और दिनन्यामिता और औचित्य पर उचित ध्यान देते हुए धनरा"ि खर्च करना।

ख– एस.डब्ल्यू.एस.एम. का वार्षिक रिपोर्ट और लेखजोखा तैयार करना।

ग– कोई सम्पत्ति, चल या अचल, खरीदना, किराए या पट्टे पर लेना, बदलना अथवा अन्यथा प्राप्त करना तथा उसका निर्माण करना, परिवर्तन करना, उस पर बने भवन को बनाए रखना, जैसा कि एस.डब्ल्यू.एस. एम. उद्दे"यों को पूरा करते रहने के लिए आव"यक हो।

घ– ऐसे सभी कार्य करना और उन कार्यों में सम्मिलित होना जो एस.डब्ल्यू.एस.एम. के उद्दे"यों को प्राप्त करने के लिए आव"यक या आनुवां"िक प्रतीत होते हो।

जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था

एस0डब्लू0एस0एम0 की General Body में सहयोगी संस्थाओं/पंचायती राज संस्थाओं के तीन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। यह प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नये चयन किये जाते हैं। General Bodyकी बैठक साधारणतया वर्ष में एक बार होती है जहॉ Executive Committee एवं Finance Committee द्वारा लिये गये निर्णयों का ratification किया जाता है।

नीति का कार्यान्वयन

पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (SWAp) अपनाते हुये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं हेतु शासनादेश सं0 2425/उन्तीस/04–2 (22 पे0)/2.004 दिनांक 31 मई 2005 निर्गत किया गया है।

राज्य सरकार व राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम0) के द्वारा निर्धारत नीतिगत निर्णयों के अनुसार एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में नीतियों को लागू करना,

जनपद स्तर पर व्यवस्था

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के दायित्व

1. राज्य सरकार व राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) के द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णयों के अनुसार एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में नीतियों को लागू करना ।
2. जनपद स्तर पर क्षेत्र सुधार के सिद्वान्तों के अनुसार पेयजल योजनाओं के नियोजन, निष्पादन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का मार्ग दर्शन करना।
3. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यो के लिये व जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई हेतु प्रस्तुत वार्षिक बजट का अनुमोदन करना तथा व्यय व प्रगति की समीक्षा करना।
4. तकनीकी रूप से परीक्षणोपरांत संस्तुत पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।
5. पेयजल एंव स्वच्छता कार्यो में ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप–समिति को सहयोग प्रदान करना।
6. पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सम्बन्धी ग्राम पंचायतों के विवादों के निपटारे हेतु न्याय संगत निर्णय देना।

ग्राम स्तर पर व्यवस्था

ग्राम पंचायतों के *कार्य और उत्तर*दायित्व

(1) उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा तैयार की गई और जल प्रबन्धन समिति के माध्यम से प्रस्तुत योजनाओं का अनुमोदन करना;

(2) ग्राम पंचायत, पेयजल योजना हेतु परियोजना क्रियान्वयन *अभिकरण* से *निधि* प्राप्त करेगी व प्राप्त *निधि* का *प्रबन्ध* करेगी तथा ग्राम निधि में प्राप्त धनराशि को 15 दिन के अन्दर चैक द्वारा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के खाते में *अन्तरित करेगी*। प्रत्येक उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति *के लिए* पृथक लेजर *रखा जायेगा;*

(3) पेयजल एवं स्वच्छता योजना के लिए *प्राप्त निधि* का लेखा–जोखा ग्राम पंचायत स्तर पर महालेखाकार द्वारा *विहित* प्रपत्रों/*फार्मेटों के अनुसार* किया जायेगा;

(4) ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाते की *सम्परीक्षा* ग्राम पंचायत करवायेगी व उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के खाते की *सम्परीक्षा* उपसमिति ही करवायेगी।

(5) पेयजल एवं स्वच्छता *संकर्मों* हेतु *एक पृथक खाता* ग्राम पंचायत स्तर पर खोला जायेगा जिसका *संचालन* ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा किन्तु यदि पंचायत सचिव उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में परियोजना द्वारा किसी *कर्मकार को* सह–सचिव *के रूप में* नामित किया जा सकेगा। *ऐसे खातों के रखरखाव के लिए* परियोजना *द्वारा* एक सहायक लेखाकार उपलब्ध कराया जायेगा;

(6) ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल से सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर के विवादों का हल निकालने का प्रयास किया जायेगा।

(7) ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति, ग्राम पंचायत के *ऊपर उल्लिखित* दायित्वों में *उसका* सहयोग *करेगी।*

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1) उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति/उपसमितियां योजना*ओं* के *सन्निमार्ण संकर्मों की* (पेयजल, सलेज ड्रेन, व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय, सोख्ता गढ्ढा, खाद गढ्ढा आदि) *पूंजी लागत के लिए* तथा *योजनाओं* के संचालन एवं रख रखाव के लिए भी ग्रामीण समुदाय से *स्वैच्छिक अंशदान (नकद अथवा श्रम के रूप में)* एकत्र कर सकेंगी। उपसमितियां ग्रामीणों को स्वच्छता एवं *सफाई* के प्रति जागरूक *बनाने के लिए* प्रयास करेंगी। यह *उप*समिति योजना में किये जाने वाले *सन्निमार्ण संकर्मों* के तकनीकी विकल्पों पर विचार कर उसे अंगीकार करेगी ताकि निर्मित *की जाने* वाली योजनायें उपभोक्ता समुदाय की आंकाक्षाओं के अनुरूप हों;

(2) पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं *की योजना,* क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव करना;

(3) पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु उपभोक्ताओं से उपभोग शुल्क एकत्रित करना एवं शुल्क *का भुगतान न किये जाने की* स्थिति में *उचित* कार्यवाही करना;

(4) सन्निमार्ण सामग्री को नियमानुसार *उपाप्त* करना एवं *उपाप्त की गई सामग्री की* गुणवत्ता सुनिश्चित करना;

(5) ग्राम पंचायत से पूंजीगत विनिधान राशि प्राप्त करना एवं उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के पूंजी लागत खाते में जमा करना तथा योजनाओं के अनुसार व्यय करना।

(6) पूंजीगत लागत विनिधान के विवरण का रखरखाव करना;

(7) पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु *उपभोक्ता शुल्क* का निर्धारण करना;

(8) मासिक वित्तीय प्रगति विवरण परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराना;

(9) ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति व ग्राम पंचायत से समन्वय *सुनिश्चित* करना।

जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था

जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। इस मिशन में माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन जिला पंचायत सदस्य, एवं चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख सदस्य हैं।

राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता की योजनाओं को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किये जाने के लिये ग्राम स्तर पर स्थायी संस्थागत व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 12 के अन्तर्गत संगठित ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका है।

ग्राम स्तर पर स्थायी संस्थागत व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के अधीन, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति/ उपसमितियों के नाम से ज्ञात उपसमिति/उपसमितियों का गठन अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 द्वारा किया गया है।

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन

(1) वह उपभोक्ता समूह जो किसी पेयजल योजना से लाभान्वित *होता है* अपनी उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सदस्यों का *चुनाव* करेगा। उपभोक्ता समूह *से ऐसे* परिवारों के वयस्क *सदस्य अभिप्रेत है जो जल प्रदाय योजना के लाभार्थी हैं*

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में *न्यूनतम 7 और अधिकतम* 12 सदस्य *होंगे*। उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में संबंधित *उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समति में* निर्वाचित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के *कक्ष सदस्य उप*समिति के *पदेन* सदस्य होंगे। ग्राम प्रधान सभी उपभोक्ता पेयजल एवं

स्वच्छता उप समितियों का *पदेन* अध्यक्ष होगा। *उपसमिति* द्वारा *उपसमिति* के सदस्यों में से कोषाध्यक्ष चुना जायेगा। *उपभोक्ता* पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में *मानकों के अनुसार कम से कम* 30 प्रतिशत *महिला सदस्य होंगी* एवं *20 प्रतिशत* अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व *होगा*। उप समिति *द्वारा किसी बैठक में विनिश्चय करने के लिए उपसमिति के* 50 प्रतिशत सदस्यों *से* गणपूर्ति होगी।